सभा पटल पर रखे गए पत्र

1201 बजे

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी।

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT AND MINISTER OF TEXTILES (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the British India Corporation Limited, Kanpur, and its subsidiaries for the year 2016-2017.

(ii) Annual Report of the British India Corporation Limited, Kanpur, and its subsidiaries for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) A copy a copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the NTC Limited and the Ministry of Textiles for the year 2019-2020.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR. HARSH VARDHAN): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Technology Development Board, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Technology Development Board, New Delhi, for the year 2017-2018.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

THE MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Tiger Conservation Authority, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(2) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Tiger Conservation Authority, New Delhi, for the year 2017-2018.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Homoeopathy, Kolkata, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Homoeopathy, Kolkata, for the year 2017-2018.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 33 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973:-

1. The Homoeopathy (Post Graduate Degree Course) M.D. (Hom.) Amendment Regulations, 2019 published in Notification No. 12-11/2010-CCH(Pt.-II)(1) in Gazette of India dated 20th June, 2019.

2. The Homoeopathy (Degree Course) Amendment Regulations, 2019 published in Notification No. 12-13/2006-CCH(Pt.VI) in Gazette of India dated 19th June, 2019.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) (एक) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ANURAG SINGH THAKUR): I beg to lay on the Table a copy of the Outcome Budget (Volume I & II) (Hindi and English versions) of the Ministry of Finance for the year 2019-2020.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

1202 hours

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:

> "In accordance with the provisions of Rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Raya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 17th July, 2019 considered and agreed without any amendment to the National Investigation Agency (Amendment) Bill, 2019 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 15th July, 2019."

BUSINESS OF THE HOUSE

1203 hours

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business during the remaining part of the 1st Session of 17th Lok Sabha will consist of:

1. Consideration of any items of Government Business carried over from today's order paper:- [it contains consideration and passing of the Protection of Human Rights (Amendment) Bill, 2019.]
2. Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Ordinance, 2019 (Ordinance No. 4 of 2019) and consideration and passing of the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2019.
3. Consideration and passing of the following Bills:-
   (i) The DNA Technology (Use and Application) Regulation Bill, 2019
   (ii) The Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2019
   (iii) The Consumer Protection Bill, 2019
   (iv) The Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Amendment Bill, 2019
   (v) The Jallianwala Bagh National Memorial (Amendment) Bill, 2019
   (vi) The Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2019
   (vii) The Surrogacy (Regulation) Bill, 2019
4. Consideration and passing of the following Bills after their introduction:
   (i) The Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2019
   (ii) The "Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill, 2019
   (iii) The Right to Information (Amendment) Bill, 2019
   (iv) The Code on Wages Bill, 2019
   (v) The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code Bill, 2019

5. Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Companies (Amendment) Second Ordinance, 2019 (Ordinance No. 6 of 2019) and Consideration and passing of the Companies (Amendment) Second Bill, 2019 after its introduction.
6. Consideration and passing of the Airports Economic Regulatory Authority of India (Amendment) Bill, 2019 as passed by Rajya Sabha.

(1205/KKD/MY)

7. Consideration and passing of the following Bills, after they are passed by Rajya Sabha:-
   (i) The Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2019.
   (ii) The Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Bill, 2019.

माननीय अध्यक्ष: अब सबमिशन होगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, उसे सबमिशन के बाद लिया जाएगा, क्योंकि सबमिशन महत्वपूर्ण है।

…(व्यवधान)

श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह कर कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाए-

1. दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल में 68 संविदा नर्सिंग कार्मिकों को तत्काल नियुक्ति देकर नियमित करने के संबंध में।
2. मनरेगा में विगत 15 महीनों से सामग्री मद में भुगतान नहीं होने से उत्पन्न समस्या के संबंध में।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने सबमिशन में जो दिया है, उसी को पढ़ना है।

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Sir, I request you that the following two matters may be included in the next week's List of Business:

1. The development of NH between Edappilly-Moothakunnam stretch of NH 17 (new NH 66) is a long pending case. I urge the Government to study the feasibility of the construction of the elevated highway or payment of land value as per 2013 R&R package;

2. The second phase of Kochi Metro extension from Jawaharlal Nehru Stadium to Infopark Smart City-Kakkanad needs to be completed.

श्री सी.पी. जोशी (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्न दो विषयों को शामिल किया जाए-

1. जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र प्रतापगढ़ राजस्थान में बाईपास निर्माण कार्य की स्वीकृति के पश्चात इसको प्रारंभ कराए जाने की अत्यंत आवश्यकता है।
2. कोटा तथा उदयपुर के मध्य वाया चित्तौड़गढ़ के लिए सुबह शाम एक सवारी गाड़ी या डेमू ट्रेन को चलाए जाने की आवश्यकता है।

श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल (महाराजगंज): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा आग्रह है कि अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित प्रस्तावों को जोड़ा जाए-

1. मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल में महेन्द्रनाथ हॉल्ट रेलवे स्टेशन है। उक्त हॉल्ट को यात्री सुविधा की दृष्टि से विकसित करने और वहां पर एक उपरिगामी पुल बनाए जाने पर विचार किया जाए।
2. मेरे संसदीय क्षेत्र में एक सौर ऊर्जा का विस्तृत प्लांट लगाने जाने पर विचार किया जाए।

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में मैं निम्नलिखित दो विषयों को सम्मिलित करने का निवेदन करता हूं-

1. मेरी लोक सभा क्षेत्र में अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हुए हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इन प्रतिभाओं को निखारने के लिए बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, शूटिंग, तीरन्दाजी के साई सेंटर खोलने के संबंध में।
2. मेरी लोक सभा क्षेत्र में अनेक गांव सैकड़ों साल से वन भूमि में बसे हुए हैं। मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि इन गांवों को भूमि आवंटित कर पट्टे देने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष : श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया - उपस्थित नहीं।

(1210/CP/RP)

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय अध्यक्ष जी, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय शामिल किए जाएं :

1. पिंपरी चिंचवड शहर से गुजरने वाली पवना नदी के प्रदूषण को देखते हुए पवना नदी को "नदी सुधार योजना" में शामिल किए जाने से संबंधित विषय।
2. माथेरन हिल स्टेशन जो कि इको-सेंसेटिव जोन है, पर्यटकों की मांग को देखते हुए वहां पर ई-रिक्शा चलाए जाने से संबंधित विषय को शामिल किया जाए।

श्री छेदी पासवान (सासाराम): माननीय अध्यक्ष जी, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय शामिल किए जाएं :

1. वाराणसी से सोन नगर (औरंगाबाद) तक एन.एच.-02 की हालत जर्जर हो गई है। इसकी शीघ्र मरम्मत कराई जाए।
2. बिहार के आरा से कोचस होते हुए भभुआ रोड तक रेल मार्ग के निर्माण की योजना वर्षों से अधर में है। इस योजना को शीघ्र पूरा किया जाए।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Speaker, Sir, I request you that the following two matters may be included in the next week's list of business:

1. Mining of beach sand mineral in the coastal area of Kerala and the expansion of IRE Limited Chavara.
2. Functioning of Public Service Commission, Universities in conducting examinations and the credibility thereof in the light of the recent developments in Kerala.

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): माननीय अध्यक्ष जी, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय शामिल किए जाएं :

1. मेरे संसदीय क्षेत्र पलामू के अंतर्गत सिंगरा एनएच 75 तथा रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर अविलंब ओवरब्रिज निर्माण कराने की कृपा की जाए।
2. झारखंड के प्रमंडलीय मुख्यालय पलामू जिले के मेदिनीनगर को नगर निगम का दर्जा दे दिया गया है। अत: इसे अमृत योजना के अंतर्गत शामिल किया जाए।

विशेष उल्लेख

1213 बजे

माननीय अध्यक्ष : अधीर जी, मैं आपके वक्तव्य के पहले एक सामान्य नियम आपको बताता हूं कि नियमानुसार किसी भी राज्य की विधान सभा में हो रहे कार्य के सम्बन्ध में यहां चर्चा नहीं हो सकती है। नियम प्रक्रिया में यह भी है कि संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के बारे में भी यहां पर चर्चा नहीं हो सकती है। माननीय अधीर जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष जी, मैं इससे हट कर दो-चार बातें कहना चाहता हूं। मैं सबसे पहले अपना आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। हमारी तरफ से एडजर्नमेंट मोशन दिया गया था। हमें उम्मीद थी कि कम से कम हमारे गृह मंत्री उपस्थित रहेंगे। …(व्यवधान) हमारी यह इच्छा थी कि उनके सामने हम अपनी बात पेश करते और वे खुद इसका जवाब देते।

मैं दो-चार मूलभूत बातें यहां कहना चाहता हूं। यहां बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं, आप भी हैं। हर सदन के ये अलंकार होते हैं कि सदन में आरोप-प्रत्यारोप चले, नोक-झोंक चले, वाद-विवाद चले, संवाद चले। हमारे सदन के ये अलंकार स्वरूप होते हैं। यहां जो चीजें होती हैं, हर राज्य की विधान सभा में वही चीजें होती हैं। मान लीजिए अगर आप हमें कुछ व्यवस्था देते हैं, तो राष्ट्रपति जी आकर अगर आपको कहें कि यह नहीं होगा या होगा, तो आपको यह सही नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी ऑटोनामी है। हर राज्य में भी जो सदन के स्पीकर होते हैं, उनकी ऑटोनामी होती है। राष्ट्रपति जी इलेक्टेड हैं, गवर्नमेंट सिलेक्टेड है। आज हिंदुस्तान में एक के बाद एक चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश और सिलसिला जारी है। …(व्यवधान)

(1215/NK/RCP)

सर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, …(व्यवधान) चौदह महीने पुरानी कनार्टक की गठबंधन सरकार का भविष्य तय करने के लिए गुरूवार को विधान सभा में मतदान नहीं हो सका क्योंकि सत्ताधारी गठबंधन …(व्यवधान) विपक्षी भाजपा के बीच …(व्यवधान)

उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक

1215 बजे

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत): मैं प्रस्ताव करता हूं कि उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण और उनके कल्याण तथा उससे संबद्ध या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. शशि थरूर

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I would like to object, Sir, but I would like to say …(*Interruptions*)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, हम वॉक आउट करते हैं।

1216 बजे

(इस समय श्री अधीर रंजन चौधरी, डॉ. शशि थरूर और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए।)

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण और उनके कल्याण तथा उससे संबद्ध या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u>

श्री थावर चंद गहलोत: मैं विधेयक पुरस्थापित करता हूं।

BANNING OF UNREGULATED DEPOSIT SCHEMES BILL

1217 hours

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for a comprehensive mechanism to ban the unregulated deposit schemes, other than deposits taken in the ordinary course of business, and to protect the interest of depositors and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "अविनियमित निक्षेप स्कीमों पर पाबंदी के लिए एक व्यापक तंत्र का उपबंध करने के लिए और निपेक्षकर्ताओं के हितों की संरक्षा के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u>

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I introduce the Bill.

STATEMENT RE: BANNING OF UNREGULATED DEPOSIT SCHEMES ORDINANCE - LAID

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): I beg to lay on the Table an explanatory Statement (Hindi and English versions) showing reasons for immediate legislation by promulgation of the Banning of Unregulated Deposit Schemes Ordinance, 2019 (No. 7 of 2019).

सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक

1218 बजे

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): मैं प्रस्ताव करता हूं कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।
माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय जी, डॉ. शशि थरूर जी और अधीर रंजन चौधरी जी, आप लोगों ने जो नोटिसेज दिए हैं, वह बिल के पुनर्स्थापन के विरोध के कारण दिए गए हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि इसमें कोई लेजिस्लेटिव रूप से विरोध नहीं किया गया है। आप बिल की चर्चा के दौरान भी इस विषय को उठा सकते हैं। मैं फिर भी आपको आसन की विशेष व्यवस्था के तहत एक-एक मिनट बात कहने का मौका दे रहा हूं।
श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि राइट टू इन्फार्मेशन एक्ट लाया गया है, यह हमारी रूल्स के मुताबिक नहीं लिया गया I would like to draw your attention that under Rule 74 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, it has been stated:

> "Provided further that no such motion shall be made until after copies of the Bill have been made available for the use of Members, and that any Member may object to any such motion being made unless copies of the Bill have been so made available for two days before the day on which the motion is made and such objection shall prevail, unless the Speaker allows the motion to be made."

(1220/SMN/SK)

Sir, I am referring to Kaul & Shakdher. At page mo. 66, it states:

"A Bill is not included in the List of Business for introduction until copies of the Bill have been made available to Members at least two days before the day on which it is proposed to be introduced."

Sir, this requirement is waived by the Speaker in respect of Appropriation Bill. माननीय मंत्री जी राइट टू इन्फॉर्मेशन बिल को इंट्रोड्यूज कर रहे हैं, हमें इसके लिए दो दिन का मौका नहीं दिया गया। यह रूल्स के मुताबिक नहीं हुआ है। मंत्री जी बिल में जो संशोधन लाना चाहते हैं, वह हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। सूचना का अधिकार फंडामेंटल मतलब मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार को हनन करने की कोशिश हो रही है। जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन बिल में प्रपोज किया जा रहा है in terms of salaries, in terms of service, emoluments, duration of tenure, information commission etc. पहले इलैक्शन कमीशन का पांच साल का फिक्स टेन्योर था, अब यह सरकार तय करेगी। Salaries, allowances and other terms of service was same as Election Commission and for Election Commission, it is same as the Judges of the Supreme Courts and the High Courts.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप डिटेल में बोल रहे हैं। आप बिल पर क्या बोलेंगे? इस बिल को लाने की आपत्ति पर सवाल उठाइए।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): हम चाहते हैं कि कमीशन पर सरकार का हस्तक्षेप न रहे। यह सरकार कमीशन पर हस्तक्षेप करना चाहती है। इसके ऊपर दबाव डालना चाहती है। इनकी फ्रीडम, आजादी को खत्म करना चाहती है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप चर्चा न करें। एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

…(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): In fact, the Standing Committee opined that the Information Commission is an important creation under the Act.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, 19बी में यह अनुमति दी है।

श्री सौगत राय जी।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं फिर आग्रह कर रहा हूं कि आप बिल की आपत्ति के समय पूरे बिल पर चर्चा करने लग जाते हैं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप मेरी बात सुन लीजिए। यहां एन.के. प्रेमचन्द्रन जी तथा अन्य विद्वान बैठे हैं। इस तरह से हर बिल पर बिना लेजिस्लेटिव कानून के तहत कोई बात, जिसमें ऑब्जेक्शन करने का तर्क हो, उसके बिना ही आपत्ति प्रदान करने लग जाएंगे तो सदन चलने वाला नहीं है। मेरा आप सबसे आग्रह है, आप जब भी बोलते हैं, पूरे बिल पर ही चर्चा करने लग जाते हैं। आप अपनी बात उठाएं, विधेयक को पुर:स्थापित करने के विरोध का पक्ष उठाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह सदन आपका है, लेकिन पूरे बिल पर चर्चा न करें।

श्री सौगत राय।

…(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I have a last line. There are several issues which require urgent attention of the Government to ensure proper functioning of the RTI Act including making appointment to fill large number of vacancies in the Information Commission etc, …(*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): With all the force at my command, I beg to oppose the introduction of Right to Information (Amendment) Bill.

Sir, I may mention in this context that in the 15th Lok Sabha, 71 per cent of the Bills were sent to parliamentary scrutiny. In the 16th Lok Sabha, that number has dropped. It was only 26 per cent of the Bills that were sent for parliamentary scrutiny. In the present Lok Sabha, …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: यह विषय इसमें कहां आ गया?

…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): यह कनैक्टिड है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।

…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): माननीय अध्यक्ष जी, आप मेरे बोलने के बीच में मंत्री जी को बुला रहे हैं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सौगत राय जी, मैं मंत्री जी के बाद आपको बुलाऊंगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: संसदीय कार्य मंत्री जी को अधिकार है।

…(व्यवधान)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): At the time of introduction, if they want to oppose, let them oppose it on the legislative competency of the Bill and not on the merit of the Bill. They are discussing the merit of the Bill. They can discuss the merit of the Bill in the debate.

माननीय अध्यक्ष: मैं व्यवस्था दे चुका हूं, इसी व्यवस्था पर माननीय सदस्यों को चलना है, नहीं तो अगला नाम पुकारा जाएगा।

…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैंने सुना है, लेकिन मैंने तो अभी बोलना शुरू ही नहीं किया है। ये प्राब्लम है कि नए पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर हैं। …(व्यवधान) यह नए हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यह चार बार के लोकसभा के सदस्य रहे हैं, नए नहीं हैं।

…(व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): I have opposed the introduction of the Bill. …(*Interruptions*)

(1225/SK/MMN)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Do you want this Bill to be referred to the Standing Committee then?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): I oppose the introduction of the Bill. …(*Interruptions*) Sir, in this present Parliament, not even one of the 11 Bills has been referred to the Standing Committee for their opinion. …(*Interruptions*) Sir, if the Parliamentary Affairs Minister decides to disturb a Member in this way, I expect you to protect me from disruption. आप मुझे संरक्षण दीजिए। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सदन में बताएं कि इस बिल का इंट्रोडक्शन से क्या संबंध है? अगर इस पर डिटेल में चर्चा करनी है तो आप नोटिस दीजिए। मैं उस पर चर्चा कराऊंगा।

…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदय, मैं आपसे संरक्षण मांगता हूं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अभी आप बिल इंट्रोडक्शन पर बोलें।

…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदय, राइट टू इन्फार्मेशन बहुत ही जरूरी अधिकार है। पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमेटी ने कहा –

> "Information Commission is an important creation under the Act, which will execute the laudable scheme of the legislation."

Now, this Bill seeks to renew the power of the Information Commission because the earlier Bill said that the Central Information Commission will have the same power as that of the Election Commission. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: डॉ. शशि थरूर जी।

…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): आप मुझे बोलने दीजिए।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी: माननीय मंत्री जी, आप इसका जवाब दें।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: डॉ. शशि थरूर जी की ही बात रिकॉर्ड में जाएगी।

…(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

माननीय अध्यक्ष: डॉ. शशि थरूर, क्या आप बोलना चाहते हैं?

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: डॉ. शशि थरूर जी की बात ही नोट हो रही है।

…(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, the entire framework of the Right to Information Act depends on the independence and autonomy of the Information Commissions, both the State and the Central Information Commissions. The Standing Committee that studied the original RTI Bill recommended insulating these bodies. It recommended providing statutory terms and fixed salaries in the same way as the Election Commission, and this was accepted by the Parliament in the RTI Bill.

By removing the statutory terms, by making it subject to the Government's wishes based on the Government's rule making powers and by taking over the power, the Bill is removing the two greatest armours. …(*Interruptions*) Sir, please understand, I am not talking about the merits. It is not an RTI (Amendment) Bill. It is an RTI Elimination Bill. This Bill is removing the two greatest armours of institutional independence and on top of that, by controlling the State Information Commissioners, by taking over the power to determine their salaries, the Central Government is destroying it. …(*Interruptions*)

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, I have given a notice under Rule 72. I am of the opinion that this Bill lacks legislative competence. Sir, as you know very well--you are a learned person sitting on the august Chair--that in our Constitution, we have article 246 which defines the Union and State Lists; and the Concurrent List is in Schedule VII of the Constitution. Why I say it lacks competence is because clause 3 amends Section 16 of the principal Act. This abrogation takes away the powers of the State. That is why, I say that this Bill lacks competence. Now, clause 3 violates schemes set up under article 246. The Union is not competent to legislate on matters of access to records and information under the subjects and entries that fall under the State List. …(*Interruptions*) I request you to please listen to me.

(1230/MK/VR)

माननीय अध्यक्ष : केवल माननीय जितेन्द्र सिंह जी का भाषण नोट होगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्लीज, मैंने भी बिल को पूरा पढ़ा है।

…(व्यवधान)

डॉ. जितेन्द्र सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, विडम्बना यह है कि बिना बिल पर चर्चा हुए, शायद बिना उसको पूरी तरह से पढ़े हुए, माननीय सदस्य इस पर अपनी निष्कर्ष एवं टिप्पणियां दे रहे हैं। I may not be as learned as Owaisi ji and Prof. Sougata Ray are, but I am trying to learn from all of them. And, for my learning, I understand that they would let it get introduced now, and when it is taken up for consideration, they may discus each of the points which they have raised threadbare. Short of that, if they want me to respond, then it will amount to just responding to the entire discussion. …(*Interruptions*)

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): It can be sent to the Standing Committee.

DR. JITENDRA SINGH: Even if it has to be sent to the Standing Committee, we have to have the reasons for doing that. …(*Interruptions*)

Now, let me tell you one thing. I do not want to get into discussion because then it will amount to replying to the Bill-discussion as such.अब यह कहा जा रहा है कि इसमें कम्पिटेंसी नहीं है, यह बिल सर्कुलेट ही नहीं हुआ। This amounts to challenging the decision and the authority of the hon. Speaker's Chair. बिल सर्कुलेट हुआ । अध्यक्ष जी ने यह मुनासिब समझा कि इसको इन्ट्रोडक्शन के लिए लाया जाए। आप यह भी मानने को तैयार नहीं हैं। आप बताइए इसका क्या उत्तर है? इसके बाद यह कहा जा रहा है कि आप उनकी सैलरीज में दखल दे रहे हैं। बिल तो यह कह रहा है कि आरटीआई एक्ट में रूल बनाने का प्रावधान नहीं था। We are just trying to introduce that. I will come to it in the course of discussion. We will also discuss on the amendment which authorises the Government to frame the rules. सैलरी कितनी हुई है, इसकी तो अभी चर्चा ही नहीं हुई। सारे जमाने में जिसका जिक्र नहीं था, वह बात इन पर बड़ी नागवर गुजरी है। How has Owaisi ji assumed that we are reducing the salaries? यह तो चर्चा में होगी। …(व्यवधान) Thirdly, Shashi Tharoor ji has rightly pointed out that it is a statutory body. Now, if we accept that it is a statutory body, then let it be a statutory body. …(*Interruptions*) Let me complete.…(*Interruptions*)

Sir, they are law knowing persons. But without being a law-knowing person, I will just read out to you a number of judgements which I thought would not come handy in the introduction of the Bill itself. What is the difference between a statutory tribunal or statutory commission and a judiciary body on the other hand? I refer to the Judgement in the case of State of Gujarat vs. Gujarat Revenue Tribunal. …(*Interruptions*) उस विषय पर भी आते हैं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं सभी माननीय सदस्यों को मौका देता हूं। आप बार-बार खड़े होंगे तो इस तरीके से चेयर से परमिशन नहीं मिलेगी। आप इन्टरप्ट न करें।

…(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): आप हमको बोलने नहीं देते हैं।

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको पूरा मौका देता हूं।

…(व्यवधान)

डॉ. जितेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत समय नहीं लूंगा, क्योंकि यह बिल अभी इन्ट्रोडक्शन स्टेज पर है, केवल धारणा दूर करने के लिए, यह तय हो चुका है। It has been debated in the Court of Law, not once but time and again, that:

> "An authority may be described as a quasi-judicial authority if it possesses certain attributes. But it cannot be taken as a court."

So, this is a statutory body. How can you equate it with the Supreme Court? How can you equate it with an elected body? I do not want to go into all this because we have a lot of time to discuss it.

A person manning a tribunal or a commission in this case cannot claim parity or privileges at par with a High Court judge or, in this case, with a Supreme Court judge, not even a High Court judge. This is from Chandra Kumar vs. Union of India of 1997. So, these are the things in which I am not going today in detail. I will get into it later.

Let me now come back to it.

(1235/SAN/YSH)

As far as Modi Government is concerned, हमारी प्रतिबद्धता पर कोई अंगुली न उठाए, कोई संदेह न करे। आपको याद होगा, वर्ष 2014 में सरकार बनने के तुरन्त बाद प्रधान मंत्री जी ने हमे यह मंत्र दिया था 'Maximum Governance, Minimum Government'. उसके लिए पारदर्शिता, नागरिक भागीदारी और ईज ऑफ गवर्नेंस अनिवार्य है। This amendment is meant to bring about institutionalisation of RTI Act, streamlining of RTI Act and ease of delivery. On the contrary to what you are saying, this is rather going to strengthen the RTI structure as such. There is no interference with the RTI. अब हुआ यह है, जो मैं कहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैंने सोचा पहले दिन से ही विवाद शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी हमें इस पर दो दिन झगड़ा करना है। या तो उत्साह था जल्दी-जल्दी आर.टी.आई. बनाने का या शायद समय का अभाव था, इसलिए नियम बनाए ही नहीं गए। अब इसमें हमारा क्या कसूर है। हम तो प्रायश्चित कर रहे हैं…(व्यवधान)

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Parliament should make the rules and not you. …(*Interruptions*)

DR. JITENDRA SINGH: We have come to the Parliament. …(*Interruptions*) No, I am not yielding. …(*Interruptions*) You are the Parliament. We have come to you. Are you not Parliament? You tell me. अब उस अफरा-तफरी में नियम बनाए ही नहीं गए और यह अधिकार भी नहीं रखा कि नियम बनाने हैं कि नहीं बनाने। So, we are bringing an amendment. In other words, to put it in brief, I would say that this is rather an enabling legislation for administrative purposes.

जहां तक यह कहा गया कि कंसलटेशन ही नहीं हुई, due consultation was done with the Legal Affairs Department, the Legal Department. अब यह कहा जा रहा है कि…(व्यवधान) आपके पास आए है, तभी तो इंट्रोड्यूज करवा रहे हैं। कंसलटेशन के लिए ही तो आए हैं। हमने पिछले पांच साल में आर.टी.आई. एक्ट को और ज्यादा प्रभावी बनाने का प्रयास किया है। हमने आर.टी.आई. का पोर्टल बना दिया। आप क्या छोडकर गए थे? 10 से 5 आर.टी.आई. होती थीं। आज आपको अपने मोबाइल एप से 24 घंटों में कभी भी ज्ञानोदय होता है तो आप आर.टी.आई. कर सकते हैं। यह हमने पांच साल में किया है। हम पर कौन आरोप लगा सकता है कि हमने आर.टी.आई. को कमजोर किया है। हमने इसको ऑनलाइन किया। इसे आज देश-विदेश में बैठे हुए कर सकते हैं। Section 4 of the RTI Act आप लाए थे which says '*suo motu* sharing of information in the public domain' वह नहीं हो रहा था, आज देखिए हमारी वेबसाइट्स इतनी सुचारू है। डी.ओ.पी.टी. में भी किसी अधिकारी का आर्डर होता है तो उसको उसकी प्रति बाद में पहुंचती है, उससे पहले वेबसाइट्स पर आ जाती है। नई बिल्डिंग हमने बनाई। आप कह रहे है कि आर.टी.आई. पहले प्रभावी था। एक ऐसा समय भी आया कि चार-चार सदस्यों के साथ कमीशन चलता था, आपके जमाने में तो ऐसा नहीं हुआ, फिर एक ऐसा समय आया कि एक लीडर ऑफ दी अपोजिशन होना चाहिए। There should be Leader of Opposition in the Selection Committee. We walked an extra mile. हमने कहा कि कांग्रेस को लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं मिला तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। हमने कहा let the Leader of the largest opposition party be a member. हमने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को आमंत्रित किया, उसके बाद भी आप कह रहे हैं, So, let the Bill be introduced. जो भी होगा, हम डिसकसन करेंगे और मैं खुले दिल से कहता हूं, We are bringing in this amendment to authorise the Government to frame rules. उसमें आपके जो भी सुझाव होंगे कि किस तरह की सैलेरी होगी, किस तरह का टेन्योर होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): You send it to the Standing Committee.

DR. JITENDRA SINGH: No. Why should we? Let us first discuss.

You tell me how you can justify this anomaly. The Central Information Commissioner and the Information Commissioner are equivalent to a judge of the Supreme Court. …(*Interruptions*) Please listen. …(*Interruptions*) Owaisi *saheb*, the problem is that you react before listening to the whole sentence. उसकी अगर जजमेंट को चेलेंज करना हो तो आप हाईकोर्ट को चैलेंज करते हैं। क्या कभी दुनिया भर में ऐसा हुआ? सुप्रीम कोर्ट के जज के लेवल की जजमेंट को अपोज किया जा रहा है। That is the Act you have made. You have made a clumsy Act and we are trying to modify it. This is a clumsy Act and it is done in a haste. You gave the Information Commissioner the status of a Supreme Court and at the same time, left the provision of appeal to the High Court. इसका कोई जवाब देगा। हम उसमें सुधार ला रहे हैं।…(*Interruptions*) Shashiji, I am saying this with an open mind. …(*Interruptions*) I am not contesting what you are saying. We are having an open mind. In order to improve upon this, as I said, to streamline it and to make it more institutionalised, we will incorporate it, but we have to correct these anomalies.

(1240/SM/RPS)

Suddenly, we cannot do it. …(*Interruptions*). We have come to the Parliament to ask for the power. …(*Interruptions*).

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

…(व्यवधान)

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, I want Division. …(*Interruptions*)

1240 hours

(At this stage, Shri Adhir Ranjan Chowdhury, Shri Sudip Bandyopadhyay, Kunwar Danish Ali, Shri E.T. Mohammed Basheer, Shri Mohammed Faizal and some other hon. Members left the House.)

1241 बजे

माननीय अध्यक्ष: प्रवेश-कक्ष खाली कर दिए जाएं –

अब प्रवेश-कक्ष खाली हो गए हैं।

(1245/RAJ/AK)

ANNOUNCEMENT RE: DIVISION

1245 hours

माननीय अध्यक्ष : महासचिव।

महासचिव : माननीय सदस्यगण, मुझे आपको यह सूचित करना है कि चूंकि सदस्यों को अभी तक मत विभाजन संख्या का आबंटन नहीं किया गया है। अत: स्वचालित मतदान रिकार्डिंग मशीन द्वारा मत-विभाजन कराना संभव नहीं है। अब मत-विभाजन नियम 367 एए के अंतर्गत पर्चियों के वितरण द्वारा किया जाएगा।

सदस्यों को अपने मत दर्ज करने के लिए उनके स्थान पर 'हां' या 'नही' मुद्रित पर्चियां दी जाएंगी। 'हां' वाली पर्चियां हरे कागज पर हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में एक ओर छापी गई हैं और 'नहीं' वाली पर्चियां पीछे गुलाबी कागज पर छापी गई हैं। सदस्य पर्चियों पर निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर और अपना नाम, पहचान पत्र संख्या, निर्वाचन क्षेत्र तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एवं तिथि साफ अक्षरों में लिखकर अपनी पसंद का मत दर्ज करें। जो सदस्य 'मतदान में भाग न लेने वाला' मत दर्ज कराना चाहते हैं, वे 'मतदान में भाग न लेने वाली' पीले कागज में छापी गई पर्ची मांग सकते हैं। अपना मत दर्ज करने के तत्काल बाद प्रत्येक सदस्य अपनी पर्ची मत विभाजन अधिकारी को देंगे, जो उनके स्थान पर उन पर्चियों को लेने आएंगे तथा उन्हें सभा पटल के अधिकारियों को सौंप देंगे। सदस्यों से अनुरोध है कि वे मत-विभाजन के लिए केवल एक पर्ची को ही भरें।

सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि मत-विभाजन अधिकारियों द्वारा पर्ची एकत्र किए जाने के पश्चात् ही अपना स्थान छोड़ें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान दी जाए।"

(1250-1255/VB/UB)

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): सर, डिविजन।

माननीय अध्यक्ष : अब मतदान।

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ:

माननीय अध्यक्ष: मत विभाजन का परिणाम यह है:

हाँ: 224

नहीं : 9

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, अब आप विधेयक पुर:स्थापित करें।

डॉ. जितेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: प्रवेश कक्ष खोल दी जाएं।